
12. सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश/Admissions to PG Courses at Armed Forces Medical Services Institutions

12.1. निम्नलिखित सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला है/ Admission to the under mentioned Armed Forces Medical Services (AFMS) training institutes is open to eligible candidates:

- i) सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे Armed Forces Medical College, Pune
- ii) आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), दिल्ली कैंट/ Army Hospital (Research & Referral), Delhi Cantt
- iii) आईएनएचएस अश्विनी (मुंबई)/ INHS Asvini (Mumbai)
- iv) कमान अस्पताल वायु सेना (बैंगलोर)/ Command Hospital Air Force (Bangalore)
- v) कमान अस्पताल पूर्वी कमान (कोलकाता)/ Command Hospital Eastern Command (Kolkata)
- vi) कमान अस्पताल पश्चिमी कमान (चंडीमंदिर)/ Command Hospital Western Command (Chandimandir)
- vii) कमान अस्पताल मध्य कमान (लखनऊ)/ Command Hospital Central Command (Lucknow)
- viii) एयरोस्पेस मेडिसिन संस्थान (बैंगलुरु)/ Institute of Aerospace Medicine (Bengaluru)

12.2. उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत उपर्युक्त एएफएमएस संस्थानों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा The candidates shall be considered for admission to the above-mentioned AFMS institutions under the following categories, in the order of precedence

- i) प्राथमिकता- I (एएफएमएस के सेवारत अधिकारी) Priority-I (Serving Officers of AFMS)

-
- ii) प्राथमिकता- II (मित्र देशों से सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार) Priority-II (Government Sponsored Candidates from Friendly Foreign Countries)
 - iii) प्राथमिकता- III (अर्धसैनिक/भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य उम्मीदवार) Priority-III (Para Military/other Govt. of India sponsored candidates)
 - iv) प्राथमिकता- IV (एएफएमएस के पूर्व-लघु सेवा आयोग के अधिकारी) Priority-IV (Ex-Short Service Commission Officers of AFMS)
 - v) प्राथमिकता-V (सिविलियन); AFMS की सेवा के लिए बांड देयता होगी Priority-V (Civilians); Will have bond liability to serve AFMS

12.3. यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के संस्थान/अस्पताल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लेने का इच्छुक है, तो नीट-पीजी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय, उम्मीदवारों को "हां" विकल्प का चयन करना होगा, इस प्रश्न के उत्तर में, "क्या आप सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के संस्थान / अस्पताल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लेने के इच्छुक हैं"। इसके बाद, उन्हें पैरा 12.2 में उल्लिखित अपनी श्रेणी का उल्लेख करना होगा। In case the candidate is willing to take up post graduate courses in institution/hospital of Armed Forces Medical Services, at the time of online submission of application form for NEET-PG 2023, the candidates will have to select the option "YES" to "Are you willing to take up post graduate courses in institution/hospital of Armed Forces Medical Services". Thereafter, they will have to indicate their category as mentioned in **Para 12.2**

12.4. एएफएमएस संस्थानों में एमडी/एमएस/पीजी पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड और प्रवेश प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए विस्तृत निर्देशों के साथ एक अलग अधिसूचना प्रकाशित करेगा और नामित परामर्श प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। एएफएमएस संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिसूचना पढ़नी होगी और एनईईटी-पीजी परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश के लिए विचार करने के लिए तदनुसार आवेदन करना होगा। AFMS will publish a separate notification with detailed instructions mentioning eligibility criteria and admission procedure for MD/MS/PG courses at AFMS institutions & will be

available on the website of designated counseling authority. The candidates desirous for admission to AFMS institutions will have to go through the notification & apply accordingly to be considered for admission after declaration of NEET-PG result.

12.5.उम्मीदवारों को नीट-पीजी 2023 के स्कोर और प्रवेश पत्र को संरक्षित करना चाहिए, जो कि उनकी संबंधित श्रेणियों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। Candidates should preserve the Score & admit cards of NEET-PG 2023, which are required to be produced during counseling to be conducted for admission to Post Graduate courses in their respective categories.

12.6.सीटों का आवंटन और आरक्षण/ ALLOTMENT OF SEATS AND RESERVATION:

12.6.1.नीट-पीजी 2023 के लिए नामित परामर्श प्राधिकरण द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया और लागू आरक्षण का विवरण देने वाली एक अलग हैंडबुक जारी की जाएगी। A separate handbook informing details of the counseling process and applicable reservation shall be released by the designated counseling authority for NEET-PG 2023.

12.6.2.स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। There is no provision of reservation of seats for SC/ST/OBC/PwD in the Armed Forces Medical Services Institutions conducting Post Graduate Medical Courses.

12.6.3.इन संस्थानों में चयन और अंतिम प्रवेश सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर और पैरा 12.2 में उल्लिखित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार किया जाएगा और जिन्होंने नीट-पीजी और एएफएमएस दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और प्रवेश होगा संबद्ध विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के संयोजन में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार किया गया। Selection and final admissions to these institutions shall be

made by the Armed Forces Medical Services based on merit of the candidates & as per order of precedence mentioned in para 12.2 and who have applied online both to NEET-PG and to AFMS and the admissions shall be done as per Govt of India Ministry of Defence rules and regulations in conjunction with those applicable to the affiliating Universities.

12.6.4. एएफएमएस संस्थानों में एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा सीटों के इच्छुक सभी योग्य उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से डीजीएचएस, एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार के एमसीसी के साथ इसकी वेबसाइट www.mcc.nic.in पर पंजीकृत होना होगा, ताकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एएफएमएस काउंसलिंग के लिए पात्र हो सकें। एएफएमएस शिक्षण संस्थानों में, असफल होने पर उन्हें विशिष्टताओं के आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। All eligible candidates desirous of MD/MS/PG Diploma seats in AFMS institutions will have to mandatorily register with MCC of DGHS, MoHFW, Govt of India at its website www.mcc.nic.in to be eligible for AFMS counseling for Post Graduate courses at AFMS teaching institutes, failing which they will NOT be considered for allocation of specialties.

12.6.5. नामित परामर्श प्राधिकरण यानी चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) एएफएमएस परामर्श का केवल पंजीकरण हिस्सा करेगी। आगे की ऑफलाइन मेरिट आधारित सीटों का आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया एएफएमएस द्वारा शारीरिक फिटनेस टेस्ट के बाद आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एएफएमएस द्वारा आयोजित शारीरिक फिटनेस टेस्ट के नियमों और शर्तों से परिचित हों और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए एएफएमएस की वेबसाइट www.afmcdg1d.gov.in देखें। The designated Counseling Authority i.e. Medical Counseling Committee (MCC) will do only Registration part of AFMS counseling. The further offline merit based allotment of seats and admission process will be conducted by AFMS after physical fitness test. Candidates are advised to be familiar with the terms & conditions of physical fitness test conducted by AFMS and visit AFMS website www.afmcdg1d.gov.in for further information in this regard.